

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

0 79/2014

तारीख रजू:- 09.07.2014


कुसुम उर्फ मल्ला आदि बनाम बीपीसिंह बगै०

दावा वावत धारा 88,53,188

निर्णय

09.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं है। बार-बार बाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया ना ही किसी प्रकार का वेदन एवं तलवाना भी पेश नहीं किया गया है। जवकी वादी को तलवाना पेश करने हेतु दिनांक 21.07.2014 से ही निरन्तर हिदायत दी जा रही है। किन्तु आज नांक भी कोई तलवाना पेश नहीं किया गया है।

अतः दावा वादी धारा 88,53,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम खिलाफ तिवादीगण का अदम हाजरी अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उप जिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
हिण्डौन